न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 07/2018

प्रार्थी

जयराम विश्नोई पुत्र सुरजाराम, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रूपाराम विश्नोई पुत्र जुगताराम, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत फींच जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बविरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2017 पारित द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर, जिसके द्वारा उन्होंने गांव फींच की आबादी भूमि में अवैध व नियम विरूद्ध आवंटन किया एवं इसका एक पट्टा संख्या 28 मिसल संख्या 76/2017–18 दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया।

– – –

पंचायत निगरानी सं. – 08/2018

प्रार्थी

जयराम विश्नोई पुत्र सुरजाराम, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बगड़ाराम विश्नोई पुत्र मंगलाराम विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी– गांव खुडाला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत फींच जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बविरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2017 पारित द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर, जिसके द्वारा उन्होंने गांव फींच की आबादी भूमि में अवैध व नियम विरूद्ध आवंटन किया एवं इसका एक पट्टा संख्या 27 मिसल संख्या 75/2017–18 दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी सं. – 09 / 2018

प्रार्थी

जयराम विश्नोई पुत्र सुरजाराम, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. लालीदेवी पत्नी मदनलाल विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत फींच जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बविरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2017 पारित द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर, जिसके द्वारा उन्होंने गांव फींच की आबादी भूमि में अवैध व नियम विरूद्ध आवंटन किया एवं इसका एक पट्टा संख्या 30 मिसल संख्या 78 / 2017–18 दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया।

– – –

पंचायत निगरानी सं. – 10 / 2018

प्रार्थी

जयराम विश्नोई पुत्र सुरजाराम, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मदनलाल विश्नोई पुत्र मेकाराम विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी– गांव फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत फींच जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बविरूद्ध आदेश दिनांक 20.06.2017 पारित द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर, जिसके द्वारा उन्होंने गांव फींच की आबादी भूमि में अवैध व नियम विरूद्ध आवंटन किया एवं इसका एक पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 77 / 2017–18 दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एच0 आर [illegible] व दीपक परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री [illegible] विश्नोई अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री [illegible] विश्नोई अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

–आदेश – दिनांक : **31.07.2019**

प्रार्थी अभिभाषक ने यह चारों पंचायत निगरानियाँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 पट्टा संख्या क्रमशः 28, 27, 30 एवं 29 मिसल संख्या क्रमशः 76/2017–18, 75/2017–18, 78/2017–18 एवं 77/2017–18 दिनांक 20.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किये गये को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। चारों में विवाद का बिन्दू एक समान होने से चारों निगरानियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति चारों निगरानियों में लगाई जावें। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत फींच ने नियमों की अनदेखी व अवहेलना करते हुए एक पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम फींच की आबादी भूमि में आवंटित किया, जो कि सरासर नियम विरूद्ध व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों के विपरित जाकर अवैध रूप से पट्टा जारी किया और पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज योग्य है।

ग्राम फींच में जारी पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा नहीं था और न ही मकान बना हुआ था, परन्तु इसके बावजूद सरपंच व ग्राम पंचायत फींच ने बिना किसी कब्जे की जांच किये व नियमों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आबादी भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अधीन जारी कर दिया, जो पूर्ण रूप से विधिविरूद्ध है।

जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, उस भूमि पर प्रार्थी व उसके परिवारजनों का पुश्तैनी शामलाती कब्जा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई पुराना कब्जा नहीं है और न ही उसका कोई मकान बना हुआ है। जब प्रार्थी ने अपने व अपने परिवारवालों की पुश्तैनी शामलाती कब्जासुदा भूमि बाबत् पट्टा जारी करने का निवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष किया तो ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी व उसके परिवारवालों की पुश्तैनी शामलाती कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उक्त आबादी भूमि के पट्टे पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी हो रखे है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गए पट्टे से प्रभावित पक्षकार है और इस पट्टे से प्राथी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ा है, इसलिए ग्राम पंचायत फींच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे से व्यथित होकर यह निगरानियाँ प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा उक्त चारों पंचायत निगरानियाँ प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रोशनलाल विश्नोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथ विश्नोई ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। इन पंचायत निगरानियों से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत फींच से प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 17.07.2019 को सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बार–बार आवाजे लगवाने के बावजूद वह न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 23.07.2019 को नियत हुई। उक्त निगरानियों में निर्णय करने से पूर्व भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं हुए। उक्त चारों पंचायत निगरानियाँ का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित व मौखिक बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी विधि विरूद्ध पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानियाँ प्रस्तुत की गई है।

ग्राम पंचायत फींच द्वारा पूर्ण रूप से मनमाने तरीके को अपनाते हुए एवं विधि के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए पट्टा जारी करने की विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के साथ साथ लोक हितों के विरूद्ध भी है।

ग्राम पंचायत फींच पंचायत समिति लूणी जोधपुर के द्वारा पट्टा जारी करने हेतु बनाई गई मिसल एवं ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाहियों में भारी विरोधाभाष है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिनाक 5–6–2017 को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया था और आवेदन के साथ ही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। परन्तु प्रार्थना पत्र मे ंवर्णित दस्तावेजात ना तो पूर्ण रूप से रेकर्ड पर उपलब्ध है और न ही ऐसा ही कोई विधि मान्य दस्तावेज है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आवेदनकर्ता द्वारा विधिसम्मत आवेदन किया गया है। यहा ंयह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदनकर्ता की ओर से भूखण्ड का तथाकथित मौका नक्शा की रिपोर्ट वार्ड पंच से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुतत की गई है। जबकि उक्त रिपोर्ट के जारी करने की कोई तारीख का उल्लेख रिपोर्ट में अंकित नहीं है और न ही ऐसा कोई उल्लेख वर्णित है कि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच द्वारा किसके आदेश व निर्देश पर उक्त तथाकथित रिपोर्ट जारी की गई।

ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल बनाई गई है उसके प्रारम्भ की तारीख 5–6–2017 अभिलेख पर उपलब्ध है और 5–6–2017 को प्रस्ताव सं0 2(पअ) के अनुसार पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत पंचायत आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया। जबकि वास्तव में दिनांक 5–6–2017 को आवेदनकर्ता को पट्टा जारी करने बाबत मिसल दर्ज करने का न तो कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा लिया गया और न ही पंचायत द्वारा मिसल दर्ज करने बाबत कोई निर्णय लिया गया यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत को जो शक्तियां प्राप्त है व ग्रामीण विकास एवं सुविधाओं को व्यवस्थित करने के हिसाब से प्रदत्त की गई। ग्राम पंचायत को अपने मनमाने तरीके अपनाते हुए और विधि विरूद्ध तरीकों से सरकारी भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटन, विक्रय एवं विनियमितिकरण का कोई अधिकार प्राप्त नही है। पंचायत समिति को नियम 141 के अनुसार साधारणतयाः नीलाम के माध्यम से ही भूमि के विक्रय का अधिकार प्राप्त है और केवल मात्र विशेष कारणों के रहते ही उसके द्वारा नीलामी प्रक्रिया से भिन्न तरीके से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जो राज्य सरकार द्वारा नियम 140 के अनुसार आबादी के रूप में ग्राम पंचायत में निहित की हो उसे विक्रय करने का अधिकार है पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड से यह कही भी स्पष्ट नही है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा यह कही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत में निहित है। इसके अलावा यहा यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि नियम 143 के तहत 100 वर्गगज से अधिक की जमीन ग्राम पंचायत द्वारा केवल नीलाम के द्वारा ही विक्रय की जा सकती है। मौजूदा प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधि के उक्त प्रावधानों के विरूद्ध जाकर सरकारी भूमि को मनमाने तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

से विक्रय करने की मंशा से पंचायत की भूमि को आवेदनकर्ता की पुश्तैनी कब्जा की आवासीय भूमि होना बताया व माना गया। जो कि पूर्ण रूप से वास्तविक परिस्थितियों एवं तथ्यों के विपरीत है। आवेदनकर्ताओं का न तो मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा है और न ही पूर्व में उनके कोई पुश्तैनी कब्जा रहा है।

ग्राम पंचायत द्वारा आवेदनकर्ता का पुश्तैनी कब्जा होना माना जा रहा है जबकि आवेदनकर्ता की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित एवं स्पष्ट होता हो कि आवेदनकर्ता का पुश्तैनी कब्जा रहा हो। जबकि ठीक इसके विपरीत स्वयं आवेदनकर्ता द्वारा जमीन पर अपना कब्जा होना बताया गया है न कि अपने पूर्वजों का बताया गया है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि नियम 165 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का यह दायित्व बनता है कि वह पंचायत की आबादी भूमि का समय समय पर निरीक्षण करे और अतिचारियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों के संबंध में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाये। परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा कोई भी रिकोर्ड या तथ्य दर्ज किये बिना ही तथाकथित आवेदनकर्ताओं का पुश्तैनी कब्जा होना माना गया है। जो कि पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा यह पाया जाता है कि पंचायत की भूमि पर किसी का कब्जा है तो ऐसे कब्जेधारी का विनियमन बाजार मूल्य पर भूमि का विक्रय कर किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए एवं अपने दायित्वों व कर्तव्यों से विमुख होते हुए व्यक्ति विशेष को अनुचित फायदा पहुॅचाने की नियत से तथा राज्य सरकार को नुकसान पहुॅचाते हुए लोक हितों के विरूद्ध जाकर तथाकथित तौर पर आवेदनकर्ताओं का पुश्तैनी कब्जा होना बताकर व मानकर विधि विरूद्ध तरीके सें पंचायत की बहुमूल्य आबादी भूमि का विक्रय (विनियमितीकरण) किया गया था जो कि पूर्ण रूप से गलत है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार आबादी भूमि जिस पर 50 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष की अवधि के दौरान आवासीय गृह के रूप में कब्जा हो। उन्हीं का पट्टा जारी करने हेतु विनयमितिकरण किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध तरीके से पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली के संबंध में की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं रिपोर्ट निगरानी के साथ प्रस्तुत है। पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति लूणी द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर भूखण्ड खाली है। वहां पर किसी प्रकार का कोई कब्जा, बाड़ा अथवा मकान नही है। इसके अलावा पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने घरों का विनियमितिकरण दर्शाकर पट्टे जारी किये गये है जो नियम विरूद्ध है और इस प्रकार के जारी किये गये पट्टों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपर जिला कलेक्टर महोदय (न्यायालय) सक्षम है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का दुरूपयोंग करते हुए एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर आबादी भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी को किया गया।

ग्राम पचायत फींच के सरपंच दौलतराम [illegible] मिसल पर जो अंकित है वे भी भिन्न भिन्न है और पंचायत की जो प्रशासनिक [illegible] है उसमें भी भिन्नता है। यह तथ्य भी पट्टा कार्यवाही पर न केवल सन्देह उत्पन्न [illegible] है बल्कि एक भारी सरकारी घौटाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

को भी उजागर करते है। ग्राम पंचायत की मिसल से यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 5–7–2017 को समिति द्वारा निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया जिसको विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट समिति की बैठक मे प्रस्तुत करनी थी परन्तु उपलब्ध मिसल व निरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख से यह प्रकट होता है कि दिनांक 5–7–2017 को ही निरीक्षण समिति द्वारा अपनी राय समिति के समक्ष रख दी थी। इसके अलावा मौका निरीक्षण समिति द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मे ंयह भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि आवेदनकर्ता का कितने वर्ष पूर्व से पंचायत की आबादी भूमि पर कब्जा है। इसके अलावा उपलब्ध मिसल से यह भी प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आनन फानन में जो पट्टा जारी करने की विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई उसको अन्जाम देने की नियत से तथाकथित प्रस्ताव दिनांक 20–10–2017 के अनुसार रूपये जमा कराने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस भी आवेदनकर्ता को जारी नहीं किया और मात्र 200/– रूपये जमा करना बताकर सरकारी भूमि का विधि विरूद्ध विक्रय करना बताकर पट्टा जारी करने की कार्यवाही को अंजाम दे दिया गया और इसी वजह से उक्त राशि जमा करने हेतु जारी की जानी वाली रसीद के नम्बर और तारीख भी दिनांक 20–10–2017 की मिसल पर अंकित नहीं है।

ग्राम पंचायत फींच के सदस्यों द्वारा आपसी मिलीभगत कर ग्राम पंचायत की भूमि को हडप करने एवं अपने चहेतों के नाम विक्रय करने की मंशा से पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध तरीकों को अपनाते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय/विनियमितिकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम पंचायत समिति फींच द्वारा जिस प्रकार से सरकारी भूमि को मनमाने तरीके से विक्रय कर सरकार को जो नुकसान पहुँचाया गया है और लोक हितो ंके विरूद्ध जाकर अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन से विमुख होकर जो विधि विरूद्ध कार्यप्रणाली अपनाई गई है उसके संबधं में भी सक्षम कानूनी कार्यवाही अलग से की जानी भी आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी पट्टो निरस्त किया जावे।

हमने प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक को नियत तारीख पेशी को बार–बार आवाजें लगवाने के बावजूद वह न्यायालय समय तक उपस्थित नहीं हुए। उक्त चारों पंचायत निगरानियों में एक समान तथ्य होने व कानूनी बिन्दू एक ही होने के कारण उनका निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत फींच से संबंधित निगरानियों का मूल रेकर्ड मंगवाया गया और उनका भी अवलोकन किया गया।

इन प्रकरणों में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत फींच ने अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 जो पुराने गृहों को विनियमितिकरण इसके तहत आवेदक का 50 वर्ष पूर्व व 50 वर्ष में बने मकानों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट जो कार्यालय पंचायत समिति लूणी में कार्यरत श्री चंचलराज शर्मा व गिरधारीराम पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा दिनांक [illegible].11.2017 को जयराम पुत्र सूरजाराम जाति विश्नोई की शिकायत पर जांच की गई कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) प्रारूप 23 (क) के अन्तर्गत प्राप्त [illegible] को पुश्तैनी कब्जासुदा पुराने मकान के तहत पट्टा जारी किया गया है। जारी किये गये पट्टो के स्थल का भौतिक निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested

करने पर पाया गया कि मौके पर भूखण्ड खाली पड़ा है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा/बाड़ा/मकान नहीं है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड के आधार पर पट्टा जारी करने का शुल्क व आवेदन के साथ आवेदन शुल्क मय नक्शा नवीस शुल्क जमा होना नहीं पाया गया और न ही इसका कही उल्लेख है।

आदेश

ग्राम पंचायत फींच द्वारा पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत दिये है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर अप्रार्थीगण के मकान निर्मित नहीं है तथा न ही पत्रावली पर पुराने कब्जे सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी पट्टा संख्या 27, 28, 29 व 30 दिनांक 20.06.2017 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के विपरीत होने के तथा विधिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं करने के कारण निरस्त किये जाते है। निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों में सलंग्न हो। ग्राम पंचायत फींच से प्राप्त मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत फींच को निर्णय प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:06 IST
Reason: SelfAttested